# प्रेस नोट दिनांक 17.11.2024, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-हत्या का प्रयास, मार-पीट, गाली- गलौज करने से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-थाना फतनपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बैरमपुर में स्थित ईंट के भट्टे के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-दिनांक 15/11/24 की सायं को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नईकोट में प्रार्थिनी के पट्टीदार द्वारा गाली- गलौज देते हुए मार- पीट करना, हत्या का प्रयास किया गया था-

## घटना स्थल का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15/11/2024 की सायं को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नईकोट में प्रार्थिनी के पट्टीदार अमरनाथ कन्नौजिया सुत राम दुलार व केला सुत अमरनाथ द्वारा आपसी रंजिश को लेकर प्रार्थिनी की आबादी में दरवाजा खोलने लगे, जब प्रार्थिनी का लड़का राजकुमार सुत शोभनाथ ने मना किया। तो उक्त लोग हाथ में लाठी फावड़ लेकर गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट करने लगे एवं जान से मारने की देने के संबंध में प्रार्थिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 245 / 2024 धारा 115 (2) / 352/351 (3) / 109 बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रानीगंज के प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ०िन० अतुल कुमार यादव मय हमराह का० रामप्रताप, का रणजीत सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 245 / 2024 धारा 115 (2) / 352/351 (3) / 109 बीएनएस से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों, 1. अमरनाथ कन्नौजिया पुत्र रामदुलार 2. अतुल कुमार उर्फ केला पुत्र अमरनाथ निवासीगण ग्राम नईकोट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र फतनपुर के बैरमपुर में स्थित ईंट के भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 2. अतुल कुमार उर्फ केला पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम नईकोट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ।

## पुलिस टीम-

उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह का० रामप्रताप, का रणजीत सिंह थाना फतनपुर, प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-आरोपी द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया-

### घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 29.09.2023 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 395/2023 धारा 363/366/376 बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी

पट्टी श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0िन0 श्याम सुन्दर गिरी मय हमराह हे0का0 विनोद सिंह का0 सत्यम शर्मा, का0 गुलशन कुमार द्वारा तलाश देखभाल क्षेत्र/ वांछित, वारण्टी चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग संबंधित अभियुक्त बृजेश मिश्रा पुत्र राज कुमार मिश्रा निवासी ग्राम वंशीपट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 17.11.2024 को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त बृजेश मिश्रा को मु0अ0सं0 395/2023 धारा 363/366/376 बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

बृजेश मिश्रा पुत्र राज कुमार मिश्रा निवासी ग्राम वंशीपट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि० श्याम सुन्दर गिरी मय हमराह हे०का० विनोद सिंह का० सत्यम शर्मा, का० गुलशन कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

## थाना अन्तु पुलिस टीम द्वारा 14 ग्राम अवैध रुमैक के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 14 ग्राम अवैध रमैक व बिक्री के 1720 रुपये बरामद थाना अन्तू पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र के जोगीपुर तालाब के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अन्तू के प्रभारी निरीक्षक आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में दिनाँक 17.11.2024 को उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह उ0नि0 रिवन्द्र कुमार यादव, कां0 अनिल यादव, कां0 अंकित यादव, कां0 संजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत जोगीपुर तालाब के पास से 03 अभियुक्तों 01. 1- शिवशंकर वर्मा पुत्र सोमई निवासी ग्राम जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ 02. आशीष मिश्रा पुत्र स्व0 लल्लन मिश्रा निवासी ग्राम बेलखरी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी 03. अशोक पुत्र सुन्दरलाल निवासीग्राम कपासी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को 14 ग्राम अवैध स्मैक व बिक्री के 1720 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों 01. शिवशंकर वर्मा 02. आशीष मिश्रा 03. अशोक उपरोक्त के कब्जे से 14 ग्राम अवैध स्मैक बरामदगी के आधार पर थाना अन्तू में मु0अ0सं0 606/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- शिवशंकर वर्मा पुत्र सोमई निवासी ग्राम जोगीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
- 2- आशीष मिश्रा पुत्र स्व0 लल्लन मिश्रा निवासी ग्राम बेलखरी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- 3- अशोक पुत्र सुन्दरलाल निवासीग्राम कपासी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव, कां0 अनिल यादव, कां0 अंकित यादव, कां0 संजय कुमार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी आरोपी द्वारा वादी की पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा छेवंगा चौराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

### घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 30.10.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0 352/2024 धारा 137(2), 87, 65(1), 352, 351(3) बीएनएस व धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0िन0 लालजी राम मय हमराह आरक्षी ओम प्रकाश यादव द्वारा अभियुक्त अंकित गौतम पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बढ़ईपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ को दिनांक 17.11.2024 को थानाक्षेत्र बाघराय के छेवंगा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त अंकित गौतम को मु0अ0सं0 352/2024 धारा 137(2), 87, 65(1), 352, 351(3) बीएनएस व धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंकित गौतम पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बढ़ईपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 लालजी राम मय हमराह आरक्षी ओम प्रकाश यादव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस व एंटीरोमियो टीम की बड़ी कार्यवाही लूट करने के अभियोग में 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी लूट के अभियोग में 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तेलियानी के पास से किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से स्पार्क टेक्नो एंड्राइड फोन व घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटर साइकिल नम्बर यूपी 72 BY 8519 बरामदा

#### प्रतापगढ-

दिनांक 15.11.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गारापुर के पास 02 लडिकयों के पास से आरोपीगणों द्वारा मोबाइल फोन छीनकर भाग जाने के प्रकरण में की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0- 225/24 धारा 304 बीएनएस बनाम प्लेटिना मोटर साइकिल नम्बर यूपी 72 BY 8519 पर सवार 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष उ0िन0 श्री मनीष कुमार त्रिपाठी थाना सांगीपुर के नेतृत्व में दि0-17.11.2024 को उ0िन0 सिचन पटेल मय हमराह का0 रामप्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित वारण्टी, विवेचना के दौरान थाना सांगीपुर के मु0अ0सं0- 225/24 धारा 304 बीएनएस से संबंधित 02 वाँछित अभियुक्त 01- प्रमोद गौतम पुत्र लल्लन गौतम 02- अमित गौतम पुत्र श्रीनाथ गौतम निवासीगण ग्राम बाराडीह खाना पट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को लूट का स्पार्क टेक्नो एंड्राइड फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 15.11.2024 को यह फोन हम दोनों ने गारापुर से ही छीना है। उस दिन दो लड़कियां साइकिल से पहाड़पुर की ओर जा रही थीं एक साइकिल चला रही थी एक पीछे बैठी थी। जिसने अपने हाथ में यह मोबाइल पकड़ रखा था। हम लोग पीछे से आए और मैंने गाड़ी धीमी कर ली और अमित गौतम ने मोबाइल को छीन लिया। और वहां से हम लोग भागने में सफल हो गए थे। इसी चोरी की वजह से हम लोग आप लोगों को देखकर डर गए थे और पकड़े जाने के डर से मोटरसाइकिल से भाग लिए थे लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया। हम लोग अक्सर अलग-अलग जगह से ऐसे ही मोबाइल छीन लेते हैं और 1000- 2000 रुपये का बेच देते हैं जिससे हमारा घूमने और शराब पीने का खर्च चलता रहता है।

# गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- प्रमोद गौतम पुत्र लल्लन निवासी ग्राम बाराडीह खाना पट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 2- अमित गौतम पुत्र श्रीनाथ गौतम निवासी ग्राम बाराडीह खाना पट्टी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

#### बरामदगी-

- 01- लूट का स्पार्क टेक्नो एंड्राइड फोन बरामद।
- 02- घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटर साइकिल नम्बर यूपी 72 बीबाई 8519

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह का० रामप्रकाश थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

# थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह उ०नि० सुमित कुमार वर्मा, हे०का० रामकुमार, कां० आशीष कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दिबश के दौरान मु०नं० 1116/20 मु०अ०ंस० 739/1998 धारा 323, 326, 504 भादिव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 01- त्रियुगीनारायण पुत्र बबन दुबे 02- अबधेश नारायण दुबे पुत्र बबन दुबे निवासीगण ग्राम मंगई का पुरवा ढिंगवस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

## अभियुक्तों का विवरण-

- 01- त्रियुगीनारायण पुत्र बबन दुबे निवासी ग्राम मंगई का पुरवा ढिंगवस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।
- 02- अबधेश नारायण दुबे पुत्र बंबन दुबे निवासी ग्राम मंगई का पुरवा ढिंगवस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह उ०नि० सुमित कुमार वर्मा, हे०का० रामकुमार, कां० आशीष कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत राजमतिपुर तिराहा के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद साइकिल व उसकी निशानदेही पर चोरी की 07 और साइकिल बरामद।

#### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा सांगीपुर में टीवीएस एजेंसी के पास से साइकिल चोरी होने के प्रकरण में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 224/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष उ०नि० श्री मनीष कुमार त्रिपाठी थाना सांगीपुर के नेतृत्व में उ०नि० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह कां० सर्वेन्द्र सिंह चौहान, कां० कुलदीप पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर के मु०अ०सं० 224/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त राज सिंह पुत्र प्रेमकुमार सिंह निवासी ग्राम नया का पुरवा लखहरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत राजमतिपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी की साइकिल व उसकी निशानदेही पर उसके छप्पर से चोरी की 07 अदद साइकिल और बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

# गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- राज सिंह पुत्र प्रेमकुमार सिंह निवासी ग्राम नया का पुरवा लखहरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

## आपराधिक इतिहास -

राज सिंह पुत्र प्रेमकुमार सिंह निवासी ग्राम नया का पुरवा लखहरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास

- 01. मु0अ0सं0 319/22 धारा 411, 413, 420 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 02. मु0अ0सं0 224/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 08 अदद चोरी की साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह कां० सर्वेन्द्र सिंह चौहान , कां० कुलदीप पाल थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।